संख्या- A001-UO-20-One-आर-10-2022-23-G-2013

प्रेषक,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : 05/09/2022

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-136/रा0 आ 0 प्र 0 प्रा0/202122 दिनांक 06 जुलाई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का व्यय वित्त समिति द्वारा लागत रु0 6640.03 लाख अनुमोदित की गयी है] जिसमें प्रायोजना अन्तर्गत सिविल कार्यों के अतिरिक्त प्रस्तावित अनावासीय भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन (एच0वी0ए0सी0 सिस्टम), स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग कार्यमद उच्च विशिष्टियों की श्रेणी में सम्मिलित है। इस हेतु प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 का गठन लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनावासीय भवनों की उच्च श्रेणी की विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए किया गया है। उपरोक्त भवन निर्माण सेक्टर-7 गोमती नगर, लखनऊ में आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या- 7/20 सी पर 6123.39 वर्ग मीटर पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण का विस्तृत आगणन/डी0पी0आर0 परामर्शी मेसर्स स्काई लाइन आर्किटेक्चरल कन्सलटेंट द्वारा गठित किया गया है। प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड/बीडिंग द्वारा कराया जाना है।

3- व्यय वित्त समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के भवन निर्माण में कराये जाने वाले निम्नवत् कार्य अनुमोदित किये गये है:-

S.No.	Item of Work	As per Estimate (Amount in Rs. Lakhs)	Accepted As Per EFC (Amount in Rs. Lakhs)
A	Cost of Building		
i	Civil Work	4395.82	4115.86
ii	Plumbing Internal	109.57	105.34
	Plumbing External	111.10	103.95

iii	Fire Fighting	116.10	115.22
	Total (A)	4732.59	**4440.37**
B	**External Development Work Civil**		
i	Road Work	66.82	65.19
ii	Horticulture and Landscaping	80.10	72.71
iii	Gate (2 NOS)	23.54	23.54
iv	Guard Room (2 NOS)	10.77	10.77
v	Boundary Wall	48.61	44.14
vi	Water Body	7.56	7.56
	Total (B)	237.41	**223.92**
C	**Internal and External Electrical**		
i	Internal Electrical Work (State Disaster Management Authority Building)	332.91	324.67
ii	Internal Electrical Work (Service Building)	5.09	5.06
iii	Fire Alarm	57.73	57.67
iv	UPS System	20.00	17.35
v	Lifts	136.50	122.85
vi	Substation (HT Panel, LT Panel, Cabeling)	177.20	166.44
vii	Transformer	60.00	54.00
viii	External Street Lighting	12.83	12.67
ix	D.G. Sets	80.00	76.40
x	Solar PV Cell	48.85	42.83
xi	Illuminated Exit Signages	2.12	1.91
	Total (C)	933.22	**881.85**
D	ELV Systems		
i	IP CCTV System	26.08	0.00
ii	IT Data Networking and Voice System (Passive Component)	176.29	0.00
iii	Audio Visual System	142.31	0.00
iv	Boom Barrier	2.70	2.17
	Total (D)	**347.38**	**2.17**
E	**HVAC System**		
i	Air Conditioning and Allied Electrical Services (Central Chilled Water System 500 TR)	316.75	293.50
ii	Mechanical Ventilation and Allied Electrical Services	33.90	31.72
	Total (E)	**350.64**	**325.21**

F	**Total (A+B+C+D+E)**	6601.23	**5873.53**
	Less 5 %	0.00	-293.68
G	**Total**	**6601.23**	**5579.85**
H	Add for Contingency @ 1%	66.01	55.80
I	Add for Supervision Charges @ 2% on (G)	132.02	111.60
J	Add for Agency Charges @ 3% on (G)	198.04	167.40
K	Add for Labour Cess @ 1% on (G)	66.01	55.80
L	Add for GST @ 12 % on (G)	792.15	669.58
	Total Cost of Project	7855.47	**6640.03**

4- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रायोजना की कुल लागत रू0 6640.03 लाख (रू0 छाछठ करोड़ चालीस लाख तीन हजार मात्र) के अन्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों अनावासीय भवन में केन्द्रीय वातानुकूलन (एच0वी0ए0सी0 सिस्टम) पर धनराशि रू0 325.21 लाख एवं स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग पर लगभग धनराशि रू0 69.50 लाख (जो सिविल वर्क में सम्मिलित है) के अन्तर्गत कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए **प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अर्थात रू0 1660.00 लाख (रू0 सोलह करोड़ साठ लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) प्रायोजना की लागत रू0 पचास करोड़ से अधिक है अतः वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2/615/दस-2019 दिनांक 13-12-2019 प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनावासीय भवनों की उच्च श्रेणी की विशिष्टियों को सम्मिलित करते हुए किया गया है।

(3) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-41/2016/363/आठ-1-15-17 विविध/03 टी0सी0 दिनांक 01.02.2016 एवं तत्सम्बन्धी आदेशों के क्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था एवं उसका अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(5) प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) प्रायोजना का निर्माण किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना की वास्तविक ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर प्रायोजना का विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया

है तथा उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है इसके पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। आर0सी0सी0 की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन मे संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप मे परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) जिस मद मे शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(10) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(11) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 अ में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(12) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(13) वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दि0- 07, जून, 2022 के प्रस्तर-2 (10) में निहित व्यवस्थानुसार, कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुन: कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की होगी तथा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी। जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,60,00,000 (रुपये सोलह करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-00-101-07-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण मानक मद- 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ई-आफिस पर FINRMS से उत्पन्न संख्या **E-5-60-X-2022-23**-दिनांकः **31-8-2022** में दी गयी उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
(सुधीर गर्ग)
Date: 05-09-2022 15:08:54
प्रमुख सचिव।
Reason: Approved

<u>संख्या- A001-UO-20-One-आर-10-2022-23-G-2013 तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त लखनऊ।

6- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- वित्त नियंत्रक उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।

10. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

11. निजी सहायक मा0 उपाध्यक्ष उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ।

12. मुख्य अभियन्ता, भवन लोक निर्माण विभाग लखनऊ/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

14- गार्ड फाइल।

15. राजस्व अनुभाग 11।

16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम यादव)
विशेष सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-12/09/2022

प्रेषण संख्या:- 2013
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2013
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
07 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	166000000 166000000	166000000 166000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	166000000 166000000	166000000 166000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ साठ लाख

12/9/2022
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।